न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः- 236/2023 (जी.सी.एम.एस. 2023/318)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. परविन्द्र सिंह पुत्र बखशीश सिंह जाति जटसिख निवासी 6 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		1. कश्मीर कौर पत्नी जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 14 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व एंव उपपंजीयक, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:-18.07.2023

उपस्थितः 1.श्री कुलदीप बाना, सुभाष गरूडा अधिवक्ता वादी

2. श्री सतवीर कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी

--निर्णय-- **दिनांकः 23.10.2023**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 14 ओ, पटवार मण्डल 15 ओ भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 49/10 के मुरब्बा नम्बर 26, 27, 59/10 में वादी के नाम 0.759 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार चक 14 ओ, पटवार मण्डल 15 ओ भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 68/67 के मुरब्बा नम्बर 17, 59/9 व खाता संख्या 57/59 के मुरब्बा नम्बर 17 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.759 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व उनके पूर्वजनों ने काश्त की सहूलियत के लिए वादी ने अपनी 0.759 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ घरू वाहमी बंटवारा कर लिया था। क्योंकि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि टूकडो में होने के कारण काश्त करने में असहूलियत होती थी, इसलिए वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने घरू तौर वाहमी बंटवारा/तबादला करके उक्त भूमि पर काबिज हो गये। बंटवारा में वादी को चक 14 ओ के खाता संख्या 68/67 के मुरब्बा नम्बर 17, 59/9 व खाता संख्या 57/59 के मुरब्बा नम्बर 17 की 0.759 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 को वाहमी बंटवारा में चक 14 ओ के खाता संख्या 49/10 के मुरब्बा नम्बर 26, 27, 59/10 में वादी के नाम 0.759 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। बंटवारा में प्राप्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व उनके पूर्वज लगातार, बेरोक टोक शांतिपूर्वक, आज तक काबिज काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार से वादी का कब्जा उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध मुखालफाना हो चुका है। धारा 63 आरटीए के तहत प्रतिवादी संख्या 1 अब उक्त भूमि में अपने अधिकार खो चुके है और उक्त भूमि अब वादी के नाम खातेदारी आ चुकी है। इसलिए वादी वाहमी बंटवारा की रूह से व मुखालफाना कब्जा के आधार पर उक्त भूमि को अपने नाम खातेदारी घोषित करवा पाने के अधिकारी है। वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि को काफी धन खर्च करके व मेहनत करके सुधारा है तथा खाद डालकर उक्त भूमि को उपजाउ बनाया है तथा कृषि लायक बनाया है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के मन में अब उक्त भूमि का लेकर बेईमानी व लालच गया है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 वादी की उक्त भूमि को हडप करने की फिराक में हैं। दावा डायरी से दो रोज पूर्व वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि उक्त भूमि अपने-अपने नाम लगवा लेते है तो प्रतिवादी संख्या 1 स्पष्ट इन्कार हो गये और कहने लगे कि हम तुम्हारे तुम्हारी भूमि नहीं लगवायेगे। उक्त भूमि हमारे नाम से है। हम तो उक्त भूमि को अन्यत्र बेचान करके खूर्द बुर्द कर देगे और तुम्हे तुम्हारी भूमि से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

महरूम कर देगे। यदि प्रतिवादी अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादी का नाम पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 14 ओ, पटवार मण्डल 15 ओ भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 68/67 के मुरब्बा नम्बर 17, 59/9 व खाता संख्या 57/59 के मुरब्बा नम्बर 17 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.759 हैक्टेयर भूमि को मौखिक बंटवारानामा की रूह से व प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे व उक्त भूमि के संबध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 14 ओ, पटवार मण्डल 15 ओ भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 49/10 के मुरब्बा नम्बर 26, 27, 59/10 में वादी के नाम दर्ज 0.759 हैक्टेयर भूमि मुझ प्रतिवादी को बंटवारा में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार मालिक घोषित किया जावे। नकल जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। सामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। वादपत्र व काउन्टर क्लेम सहमति का है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम मौखिक बंटवारानामा व प्रतिकूल कब्जा के आधार पर डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 14 ओ, पटवार मण्डल 15 ओ भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 49/10 की प्रति, चक 14 ओ, पटवार मण्डल 15 ओ भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 68/67 की प्रति व चक 14 ओ, पटवार मण्डल 15 ओ भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 57/59 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी परविन्द्र सिंह को चक 14 ओ, पटवार मण्डल 15 ओ भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 68/67 के मुरब्बा नम्बर 17, 59/9 व खाता संख्या 57/59 के मुरब्बा नम्बर 17 में प्रतिवादी संख्या 1 कश्मीर कौर के नाम दर्ज 0.759 हैक्टेयर भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 कश्मीर कौर को चक 14 ओ, पटवार मण्डल 15 ओ भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 49/10 के मुरब्बा नम्बर 26, 27, 59/10 में वादी परविन्द्र सिंह के नाम दर्ज 0.759 हैक्टेयर भूमि का मौखिक बंटवारानामा व प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने बाबत निवेदन किया है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वादी व प्रतिवादी के द्वारा हस्तगत प्रकरण भूमि विनिमय का अनुतोष चाहा गया है। राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक सम/6198-6900 दिनांक 05.04.2019 की बिन्दु संख्या 19 के अनुसार जिन मामलों मे प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार मांगे जाते है उनका निस्तारण मण्डल की पूर्ण पीठों द्वारा निम्न मामलों मे प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार किया जाए-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

2011 RRD 508 जगदीश एवं अन्य बनाम सीताराम व अन्य
2018 RRD 715 सरजू राव बनाम अमृत लाल
RRD 715 सरजू राव बनाम अमृत लाल के निर्णय अनुसार "After giving an exhaustive consideration to the matter in hand, we are also constrained to note that in the Rajasthan Tenancy Act, 1955, there is no provision in whom the khatedari rights would vest in case the land has been acquired by a person through adverse possessior." अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई भी प्रावधान नही है। भूमि विनिमय का अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 48 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर में सहमति पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है। अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादी का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रतिवादी काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 23.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

परविन्द्र सिंह बनाम कश्मीर कौर आदि

धारा अन्तर्गत **88, 188** आरटीए मुकदमा नम्बर **236/2023**

निर्णय दिनांक :- 23.10.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कलाई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री कुलदीप बाना व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित नहीं होने व सारहीन से अस्वीकार/खारिज किया किया जाता है।

आज दिनांक 23.10.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुतायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	04	00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ)
श्रीकरणपुर